BABA MASTNATH UNIVERSITY
ASTHAL BOHAR, ROHTAK
Public Relations Office
Name of the Publication ..... Hari Bhumi .....
Date 22/07/2025 ..... Page ..... 11 ..... Column ..... 02 .....
Subject ..... बीएमयू में सड़क सुरक्षा एवं विधिक जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन .....
आयोजन

बीएमयू में सड़क सुरक्षा एवं विधिक जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन

विद्यार्थियों ने दिखाई गहरी रुचि, विशेषज्ञों ने किया प्रेरणादायक मार्गदर्शन

■ कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) एचएल वर्मा के कुशल नेतृत्व एवं प्रेरणादायक मार्गदर्शन में आयोजित की गई कार्यशाला

हरिभूमि न्यूज ▸▸ रोहतक

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विधिक सहायता क्लब एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में सड़क सुरक्षा एवं विधिक जागरूकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एडीआर सेंटर कॉन्फ्रेंस हॉल, जिला न्यायालय परिसर में संपन्न हुआ। यह आयोजन कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) एचएल वर्मा के कुशल नेतृत्व एवं प्रेरणादायक मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

कार्यशाला का संचालन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव, तरन्नुम खान के कुशल निर्देशन में किया गया, जो क्षेत्र में विधिक साक्षरता और सामाजिक न्याय की दिशा में निरंतर कार्यरत हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को विधिक जागरूकता प्रदान करने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करना था। वे निरंतर विधिक साक्षरता और सामाजिक न्याय को जन-जन तक पहुंचाने में समर्पित हैं। कार्यशाला का संयोजन डॉ. प्रमिला द्वारा किया गया, जबकि डॉ. सीमा देवी ने सह-समन्वयक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समर्पण और अनुशासित संचालन के कारण यह कार्यक्रम न केवल समयबद्ध रहा, बल्कि विषय के प्रति गहरी गंभीरता और सरोकार से भी परिपूर्ण रहा। कार्यशाला में लीगल एड क्लब के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रमुख प्रतिभागियों में हर्ष, शुभम, तनु, दीप्ति, श्रेया, वैष्णवी, पूर्णिमा, अंजलि, विशाल, साकेत, एकता, यशु और अंकिता शामिल रहे। इन छात्रों ने आयोजन की व्यवस्थाओं में सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ वक्ताओं से संवाद, प्रश्नोत्तरी व चर्चाओं में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। विधि संकाय के डीन डॉ. मनीष दलाल और डिप्टी डीन डॉ. रितु ने कार्यशाला की सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए शिक्षकों एवं छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह छात्रों को एक संवेदनशील नागरिक और जिम्मेदार सामाजिक इकाई के रूप में भी विकसित करते हैं।

रोहतक। बीएमयू में आयोजित कार्यशाला में मौजूद शिक्षक व छात्र।

कार्यशालाओं ने बताया प्रेरणादायक

विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. (डॉ.) एचएल वर्मा एवं रजिस्ट्रार प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यशालाओं को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि विधिक शिक्षा को समाजोपयोगी बनाना आज की आवश्यकता है और विश्वविद्यालय इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। कार्यशाला के मुख्य वक्ता के रूप में रजेश, एसएचओ, ट्रैफिक पुलिस, रोहतक ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि यह केवल पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह ट्रैफिक नियमों का पालन कर अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उसके संशोधित प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ट्रैफिक नियमों की अवहेलना न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह जीवन से खिलवाड़ भी है। उन्होंने सड़क सुरक्षा से जुड़े अनेक व्यवहारिक उदाहरण दिए और युवाओं को नियमों की गंभीरता को समझने का आह्वान किया।